

पूर्व रेलवे में स्थानापन्न कर्मचारी

1972. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के विभिन्न डिब्बीजनों में पृथक-पृथक कितने स्थानापन्न कर्मचारी हैं ;

(ख) ऐसे कितने रेलवे कर्मचारी हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्हें स्थानापन्न रखने के लिए रेलवे बोर्ड ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है ;

(घ) यदि हां, तो वह समय-सीमा कितनी है ;

(ङ) क्या दानापुर के स्थानापन्न यातायात कर्मचारियों ने रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाने के बारे में पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक और दानापुर डिब्बीजन के प्रभागीय अधीक्षक को एक ज्ञापन भेजा है ; और

(च) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शेखपुरा (बिहार) में पत्थर कूटने का कारखाना

1973. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने बिहार राज्य में मुंगेर जिले में शेखपुरा में पत्थर कूटने का एक कारखाना स्थापित किया था ;

(ख) क्या यह कारखाना पिछले 40 वर्षों से वहां चल रहा था ;

(ग) क्या उस कारखाने में पत्थर कूटने के लिये एक ठेकेदार के माध्यम से 1500 मजदूरों की सेवाओं का उपयोग किया जाता था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष रेलवे प्रशासन ने न तो ठेकेदार के माध्यम से और न ही विभागीय तौर पर पत्थर कूटने का कार्य करवाया, जिसके फलस्वरूप 1500 मजदूर बेकार हो गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उस कारखाने में काम बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इन बेरोजगार मजदूरों को रेलवे में कोई दूसरा काम देने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : रेलों ठेकेदारों के जरिये अपनी आवश्यकतानुसार गिट्टी मंगानी है। शेखपुरा खुदान से जहां ठेकेदार लगभग 600 मजदूरों को काम पर रखते थे, वर्तमान ठेकों के अनुसार सप्लाई दिसम्बर, 67 में ही पूरी हो गयी है और आगे सप्लाई अगले वित्त वर्ष में ली जायगी।

(च) जी नहीं। ठेके की समाप्ति पर ठेकेदारों के मजदूरों को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती।

हथीदा स्टेशन

1974. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में हथीदा स्टेशन में तृतीय श्रेणी का कोई विश्राम कक्ष नहीं है।

(ख) क्या वहां पेय जल की सप्लाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या इस स्टेशन पर नीचा प्लेटफार्म है और वहां कोई उपरि पुल नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वहां दुर्घटनाएं होती रहती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की इन कठिनाइयों को दूर करने का है और इस सम्बन्ध में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं। वहां तीसरे दर्जे का एक प्रतीक्षालय पहले से मौजूद है।

(ख) जी नहीं। दो नल कूप लग हुए हैं। एक स्टेशन की इमारत से पूर्व और दूसरा पश्चिम की ओर है। गर्मी के महीनों में यात्रियों को पानी देने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(ग) इस स्टेशन पर रेलवे लाइन की सतह के बराबर ऊंचा केवल एक प्लेटफार्म है और कोई ऊपरी पैदल पुल नहीं है। केवल एक दुर्घटना के अलावा, जो 1964 में हुई थी, इस स्टेशन पर और कोई दुर्घटना होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) इस स्टेशन पर 1000 वर्ग फुट के एक और प्रतीक्षालय और 1000 वर्गफुट छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का प्रस्ताव चालू वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस स्टेशन पर अन्य प्रवन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं।

तारेगना रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे)

1975. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में तारेगना स्टेशन पर रेलवे लाइन के पूर्व तथा पश्चिम की ओर प्लेटफार्म पर कोई शौड नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों के लिये पूर्वी प्लेटफार्म पर न तो पेय जल की

कोई व्यवस्था है और न ही स्टेशन पर सार्वजनिक उपयोग का कोई नल है ;

(ग) क्या तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिये कोई अलग तथा छतदार विश्राम कक्ष नहीं है ;

(घ) क्या तीसरे दर्जे की टिकट घर की खिड़की पर शौड की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) माल गोदाम से लगे हुए पश्चिमी प्लेटफार्म पर 400 वर्गफुट का एक शौड मौजूद है। पूर्वी प्लेटफार्म पर शौड नहीं है।

(ख) जी नहीं। पश्चिमी प्लेटफार्म के पास एक खुले कुएं के अलावा हर प्लेटफार्म के पास एक नल-कूप की व्यवस्था की गयी है। पीने का पानी देने के लिए पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं।

(ग) सम्भवतः आशय तीसरे दर्जे के महिला प्रतीक्षालय से है, विश्रामालय से नहीं। यद्यपि तीसरे दर्जे की महिला यात्रियों के लिए कोई अलग प्रतीक्षालय नहीं है, फिर भी उनके लिए एक अलग छतदार स्थान मौजूद है। तीसरे दर्जे के लम्बे-चौड़े प्रतीक्षालय में महिलाओं के लिये एक अलग घेरा बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें काफी जगह होगी।

(घ) जी नहीं। टिकट घर की खिड़की पर उपयुक्त छत है।

(ङ) इस समय जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे वर्तमान यातायात के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। फिर भी टिकट घर की खिड़की के पास एक 8 फुट चौड़ा बरामदा बनाने का विचार है।